भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1784

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

राजस्थान में बाढ़ से राहत के उपाय

1784. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राजस्थान के हिंडौन-करौली क्षेत्र के लोगों, जो गत वर्ष अगस्त में आई बाढ़ से प्रभावित हुए थे, को राहत पहुंचाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) करौली-धौलपुर क्षेत्र में बाड़ के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने और एनडीआरएस/नागरिक सुरक्षा में पदों में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए जल निकासी और जल संरक्षण संबंधी उपायों पर कार्य कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): आपदा प्रबंधन और राहत प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) को पहले से ही उनके नियंत्रण में रखा गया है। केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए मदों और मानदंडों को अधिसूचित किया है जिसमें किसानों को फसल क्षति और मलबे की सफाई के लिए राहत शामिल है। गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल के नुकसान के लिए मुआवजे के भी हकदार होते हैं।

जारी....2/-

दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार बाढ़ सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और शमन के प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार के पास 5027.10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने बाढ़ सहित राहत और शमन उपायों के लिए एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में वर्ष 2024-25 में 1715.00 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ग) से (घ): केंद्र सरकार ने रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी आधारित रणनीति विकसित करके आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुआयामी रणनीति बनाई है। बाढ़ प्रबंधन और कटान-रोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती है।

बाढ़ प्रबंधन के एक भाग के रूप में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकरणों के परामर्श से चिन्हित नदी क्षेत्रों पर संबंधित हितधारकों को स्टेशन-विशिष्ट बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। इसमें उचित जलाशय विनियमन के लिए पहचाने गए जलाशयों में अंतर्वाह पूर्वानुमान शामिल हैं। अल्पावधि के पूर्वानुमान के अलावा, सीडब्ल्यूसी आईएमडी मौसम पूर्वानुमान उत्पाद और नियर रियल टाइम उपग्रह वर्षा अनुमानों का उपयोग करके बेसिन विशिष्ट गणितीय मॉडल के माध्यम से 7 दिवसीय परामर्शी बाढ़ पूर्वानुमान भी तैयार करता है। सीडब्ल्यूसी के पास राजस्थान राज्य के लिए 04 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशनों और 11 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों का एक नेटवर्क है।

जमीनी स्तर पर, संबंधित राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग आपदा के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ़), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और नागरिक सुरक्षा जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, मानसून ऋतु शुरू होने से पूर्व, एनडीआरएफ़ (बल) राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से और पूर्व चेतावनी एजेंसियों अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडबल्यूसी) के पूर्वानुमान के आधार पर, देश में अतिसंवेदनशील स्थानों पर अपने विशेषज्ञ दलों को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए पहले से ही तैनात कर देता है। जमीनी स्थिति के आधार पर और राज्य सरकार (नागरिक सुरक्षा) सहित विभिन्न स्तरों पर समन्वित प्रयासों के साथ, राज्यों को अपेक्षित एनडीआरएफ़ (बल) प्रदान किया जाता है।

*****